न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ शेखावाटी, सीकर

पीठासीन अधिकारीः—सुश्री निधि सिंह (आर.ए.एस.)

दावा संख्या :— 28 / 2017

निर्णय दिनांक :—31.07.2019

1. मोती खां पुत्र स्व. श्री फैजुखां जाति कायमखानी (मुस्लिम) निवासी ग्राम टाई तहसील मलसीसर जिला झुंझुनू।

.....वादी

बनाम

1. तहसीलदार रामगढ़ शेखावाटी जिला सीकर।
2. पटवारी पटवार हल्का ग्राम पंचायत ठिमोली।

.....प्रतिवादीगण

दावा बाबत उद्घोषणा

—:निर्णयः—

उपस्थितिः— वादी स्वयं हाजिर।

वाद वादी द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि ग्राम ठिमोली तहसील रामगढ़ शेखावाटी में अवस्थित सिवाय चक काबिल काश्त भूमि खसरा नम्बर 107 रकबा 3.4800 हैक्टेयर में से 6 बीगा 7 बिस्वा अर्थात् 1.7325 हैक्टेयर भूमि वादी के पिता फैजु खां के नाम उपखण्ड अधिकारी फतेहपुर शेखावाटी के आदेश से आंवटित की गई थी और जिसका कब्जा भी विधिवत रूप से पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 24.06.1976 को वादी के पिता फैजु खां को प्रदान किया जा चुका है। आज तक वादी का कब्जा काश्त उक्त भूमि पर निरंतर—निर्बाद रूप से चलता आ रहा है, वादी से पूर्व उसके पिता फैजु खां का कब्जा काश्त था। वादी के पिता की मृत्यु हो चुकी है। जिसका एकमात्र उत्तराधिकारी वादी हैं।

वादी ने निवेदन किया है कि किसी व्यक्ति का उक्त कृषि भूमि से कोई संबंध सरोकार नहीं है। उक्त कृषि भूमि पर वादी किसान क्रेडिट कार्ड बनवाना चाहता है। जिसके लिए वादी ने दिनांक 16.03.2015 को चालू खाते की नकल निकलवाने पर वादी को ज्ञात हुआ कि उसका व उसके पहले उसके पिता का नाम खातेदार में अंकित किया जाना सहवन से रह गया है जबकि वास्तविक रूप से उक्त कृषि भूमि वादी के पिता के नाम से आंवटित कर दी गई हैं वादी का पिता अनपढ़ व ग्रामीण परिवेश का व्यक्ति था जिनको भी खातेदारी अपने नाम कराने के बारे में अनभिज्ञता रही जिसके कारण खातेदारी उनके नाम अंकित होने से रह गई। उक्त कृषि भूमि का खाता वादी अपने नाम उद्घोषित करवाने का अधिकारी है। यह कि वाद वादी विरूद्ध प्रतिवादी डिक्री किया जाकर कृषि भूमि खसरा नं. 107 रकबा 3.48 हे. में से 6 बीघा 17 बिस्वा अर्थात् 1.7325 है. भूमि वाके ग्राम ठिमोली तहसील रामगढ शेखावाटी का खाता वादी के नाम उद्घोषित किया जावें।

पूर्व में इस निर्णय की अपील वादी द्वारा माननीय न्यायालय भू—प्रबंधक अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर में प्रस्तुत की गई। माननीय न्यायालय भू—प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर द्वारा आदेश दिनांक 21.08.2017 को इस न्यायालय का आदेश व डिक्री दिनांक 03.03.2016 को खारिज किया गया तथा प्रकरण इस निर्देश के साथ रिमांड किया गया कि दावे में अति. तहसीलदार रामगढ़ के प्रकरण संख्या 246 / 1995 निर्णय दिनांक 30.03.1996 पर गौर करते हुए निर्णय पारित किया जाये।

(निधि सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ शेखावाटी

Scanned by CamScanner

दावा दिनांक 03.10.2017 को पुनः दर्ज किया गया। अति. तहसीलदार रामगढ़ शेखावाटी के प्रकरण संख्या 246/1995 के निर्णय का अवलोकन किया गया। सीलिंग अधिगृहीत आराजी का कीमतन आवंटन होता है, इसलिए निर्धारित राशि जमा करवाये बिना खातेदारी प्राप्त नही हो सकती है। पत्रावली में शामिल तहसीलदार रामगढ़ शेखावाटी से दिनांक 21.12.2015 को प्राप्त तथ्यात्मक रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। वादी ने पूर्व में एक आवंटन आदेश की फोटो प्रति प्रस्तुत की थी जिसके अनुसार 1976 में खसरा नम्बर 107 रकबा 13 बीगा 15 बिस्वा में से 6 बीगा 17 बिस्वा भूमि वादी के पिता फैजु खां जाति कायमखानी के नाम भू–आवंटन समिति द्वारा भूमि–आवंटन जाहिर होता है। प्रस्तुत नकल जमाबंदी के अनुसार दावे में वर्णित भूमि की खातेदारी सिवायचक राजकीय भूमि है।

वादी को ओर अधिक साक्ष्य प्रस्तुत करने बाबत बार–बार अवसर दिये गये। वादी द्वारा आवंटन आदेश की प्रति, सीलिंग आराजी के आवंटन के बाद आराजी पर कब्जा प्राप्ति संबंधी साक्ष्य, आवंटन आदेश के कारण जमा राशि की रसीद प्रस्तुत नही की गई। वादी आराजी पर निरन्तर कब्जे काश्त बाबत साक्ष्य प्रस्तुत करने में भी असमर्थ रहा। वादी द्वारा अपने दावे के समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत नही करने के कारण दावा वादी खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः आदेश है कि वाद वादी सिद्ध नही होने से खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली बाद तामिल तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(निधि सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
रामगढ शेखावाटी

उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ शेखावाटी

निर्णय आज दिनांक 31.07.2019 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(निधि सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
रामगढ शेखावाटी

Scanned by CamScanner